

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या 15/48/2021 रजिस्ट्रेशन नं० 2021/104 प्रवेश तिथि 08/03/2021 निर्णय दिनांक 10.09.2021

1- Reliance Asset Reconstruction Company Limited.(In its Capacity as Trustee of R.A.M.C. 027 Trust) A-13/1, 6th Floor, Synergy Tower Sector-62, Noida (U.P) 201309

प्रार्थी

बनाम

1- M/S Ujala Sales Pvt. Ltd. (Through its Directors) At C-127, Preet Vihar, Krishna Nagar Delhi-110092

Also At:

G-27, Amar Colony, East Gokulpur Loni Road, Shahadra, Delhi-110094

Also At:

Flat No. T-4108, 4th Floor, Ashiana Utsav Bhiwadi, District-Alwar, Rajasthan-301019

- 2- SH. Dinesh Gupta S/o Sh. VedPrakash Gupta
- 3- Smt. Reena Gupta W/o Sh. Dinesh Gupta
- 4- Sh. VedPrakaash Gupta S/o Sh. Ganda Ram Gupta
- 5- Smt. Sita Gupta W/o Sh. VedPrakash Gupta
- 6- Sh. Sanjeev Gutpa S/o Sh. VedPrakash Gupta

All At:

R/o. C-127, Preet Vihar, Krishna Nagar Delhi-110092

- 7- Sh. Sanjeev Shukla S/o Sh. Girraj Shankar Shukla, At R/o F-26 A, Pandav Nagar, Patparganj East Delhi-110091
- 8- M/S Ujala Pumps Pvt. Ltd. (Through its Directors) At F-83, Industrial Area, Bhiwadi Alwar, Rajasthan-301019

अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को Total Aggregating Loan Amount Rs. Loan Account No. HL/0031/H/13/000128 and Loan Account No. HL/0031/H/13/000122 का कुल 58,27,577 /—रुपये (Rupees Fifty Eight Lakh Twenty Seven Thousand Five hundred Seventy Seven Only) जो दिनांक 30.06.2020 तक ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्ज के साथ ऋण की अदायगी नहीं की गई। तथा अप्रार्थी ऋणियों/जमानतदारों द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की सम्पत्ति All That Piece And Parcel Of Immovable Property Bearing E-264, 2nd Floor Ashiana Gulmohar Bhiwadi Rajasthan - 301019 को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नहीं की गई।




प्रार्थी ने उपरोक्त All That Piece And Parcel Of Immovable Property Bearing E-264, 2nd Floor Ashiana Gulmohar Bhiwadi Rajasthan-301019 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिये जाते हैं:-

- 1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
- 2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार तिजारा, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(नन्नूल पहाड़िया)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर